

है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में
रैफर किया जाता है। पक्षकारान
दिनांक 17-05-18 को लोक अदालत
के समक्ष उपस्थित रहें।

5/18

पत्रावली लोक अदालत केम पावरा में पेश
हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी रामप्रसाद उपस्थित।
दावा वादी द्वारा निर्णित हो चुका है अतः जर्बना
पत्र अध्याई निवेदनादा दावा के निर्णय की शोहानी
में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसलानुसार होकर नंबर से कम हो
एवं ब्याह तकमील खैलग्न मूल ब्याह रहे।

संख्या

नि. शुभानंद
रामप्रसाद

सहायक कलेक्टर
कार्यपालक मं
गांगपुर सिटी